

प्रश्न सं. [क. 60]

वार्शिकीय अर्थ - 60 सामग्रीय विभाग - श्री राजेश कुमार शुक्ल
 सदन में डसट होने का दिनांक - 22.9.2020



मध्यप्रदेश शासन
 ऊर्जा विभाग
 मंत्रालय

परिशिष्ट

क्रमांक 51 / एफ-3 / 02 / 2019 / तेरह
 प्रति,

भोपाल, दिनांक
 - 3 JAN 2019

1. प्रबंध संचालक,
 एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,
 जबलपुर।
2. प्रबंध संचालक,
 म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
 जबलपुर/भोपाल/इन्दौर।

विषय:-जले एवं खराब वितरण ट्रांसफार्मरों को बदलने के संबंध में।
 संदर्भ:-विभाग का पत्र क्रमांक 6469 / 2017 / तेरह, दिनांक 10.10.2017

:-

जले एवं खराब वितरण ट्रांसफार्मरों को बदलने के संबंध में विभाग द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से जारी किये गये निर्देशों को अधिकमित (Superseded) करते हुए निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :-

"जले एवं खराब वितरण ट्रांसफार्मरों से जुड़े 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान करने पर अथवा कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत जमा होने के उपरांत इन जले एवं खराब वितरण ट्रांसफार्मरों को बदला जाए। इन दोनों शर्तों में से किसी भी एक शर्त की पूर्ति होने पर उक्त ट्रांसफार्मर को तत्काल बदला जाये।"

निर्देशानुसार, उक्त कार्यवाही तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करने हेतु मैदानी अधिकारियों को निर्देशित करने का कृपया अनुरोध है।

अनुभाग अधिकारी
 ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
 भोपाल

(पी.के. चतुर्वेदी)
 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग